

(2)

द्वारा ई-मेल/फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:दस-यातायात-2017

दिनांक: जून 17 2017

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/रेलवे/प्रशिक्षण निदेशालय/सी० बी० सी० आई० डी०/
ए० सी० ओ०/विशेष जांच/अभिसूचना विभाग/सुरक्षा शाखा/तकनीकी सेवायें
/ए०टी० एस०/एस०टी०एफ०/एस०आई०टी० उ०प्र०।

2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स उ०प्र०।

3-पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- सेनानायक, केन्द्रीय रिजर्व 11 वीं वाहिनी पी०ए०सी० सीतापुर।

5- सेनानायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी उ०प्र० लखनऊ।


6- अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार कानपुर।

विषय:

यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस
के कर्मियों की सेवा अवधि एवं आयु निम्नानुसार किये जाने पर कितने कर्मी (प्लाटून
कमाण्डर/उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस) उपलब्ध हो पायेंगे की सूचना उपलब्ध कराये
जाने के सम्बन्ध में:-

आयु सीमा	सेवा अवधि	उपलब्ध कर्मियों की संख्या
40	07वर्ष	
45वर्ष	05वर्ष	
45वर्ष	03वर्ष	

2- अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों की उपरोक्तानुसार
संकलित सूचना दिनांक: 25-6-2017 तक सीधे यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को जरिये
ई-मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराते हुये उसकी एक-एक प्रति पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०
लखनऊ व इस मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः
अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त सूचना का जोन स्तर पर एवं अधीनस्थ इकाईयों से प्राप्त सूचना का
सम्बन्धित मुख्यालय स्तर पर सम्यक परिशीलन अवश्य कर लिया जाय। कृपया प्रकरण में वरीयता
अपेक्षित है।


पुलिस उपाधीक्षक, लीगल सेल
निमित्त पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० लखनऊ को।

2- पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को।